



**भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
बेंगलूरु**

**सिक्का बैग तथा नोट बॉक्स के संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में वयस्क एवं सक्षम श्रमिकों की
आपूर्ति हेतु ई-निविदा**

आरबीआई/बेंगलूरु/निर्गम/2/26-27/ईटी/41

**भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
नृपथुगा रोड
बेंगलूरु-560001**



अस्वीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक), बेंगलुरु स्थित निर्गम विभाग ने रुचि रखने वाले पक्षों को अनुबंध के संदर्भ में पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करने के लिए इस दस्तावेज़ को तैयार किया है। बैंक ने इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी की तैयारी में उचित देखरेख बरता है और यह मानता है कि यह सही है, परंतु न तो बैंक और न ही इसके किसी अधिकारी, एजेंसी अथवा उनके कर्मचारियों, अधिकारियों, एजेंटों या सलाहकारों द्वारा इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी की पूर्णता या शुद्धता के संबंध में कोई स्पष्ट या अनुमानित गारंटी या प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

यह जानकारी व्यापक होने के लिए नहीं है। रुचि रखने वाले पक्षों को अपनी स्वयं की जांच करनी होगी और प्रतिवेदकों को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं करते। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की गई है कि यह भारतीय रिजर्व बैंक या इसके किसी अधिकारी, एजेंसी अथवा उनके कर्मचारियों, अधिकारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक अनुबंध को आगे न बढ़ाने, अनुबंध की विन्यास में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए समयसारणी में परिवर्तन करने या लागू किए जाने वाली प्रक्रिया/विधि को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह किसी भी रुचि रखने वाले पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की भरपाई नहीं की जाएगी।



विषय-सूची

भाग I	निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)
भाग II	ई-प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण निर्देश
भाग III	बोलीदाताओं के लिए निर्देश (ITB)
भाग IV	अनुबंध की शर्तें एवं प्रतिबंध
भाग V	निविदा फॉर्म – भाग-I (तकनीकी बोली)
भाग VI	तकनीकी बोली के साथ जमा करने हेतु दस्तावेजों की सूची
भाग VII	भाग-I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन
भाग VIII	निविदा फॉर्म – भाग-II (मूल्य बोली)



भारतीय रिजर्व बैंक
निर्गम विभाग
बेंगलूरु

भाग - I

निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)
(केवल ई-खरीद प्रणाली के माध्यम से)
निविदा अनुसूची (SOT)

1. भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे आगे "आरबीआई" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) द्वारा सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में वयस्क एवं सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए पात्र बोलीदाताओं से दो भाग की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
2. ई-निविदा तथा विस्तृत निविदा सूचना MSTC वेबसाइट www.mstcecommerce.com/eproc एवं बैंक की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "निविदाएं" मेनू के अंतर्गत उपलब्ध है।
3. सभी रुचि रखने वाले बोलीदाताओं को MSTC के साथ पंजीकृत होना चाहिए तथा उपरोक्त संदर्भित ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ, सम्पूर्ण रूप से पूर्ण, 15 मई, 2026 को सुबह 10.00 बजे या उससे पहले अपनी निविदाएं जमा करनी होंगी। तकनीकी निविदाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से उद्घाटन 15 मई, 2026 को सुबह 11.00 बजे किया जाएगा। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं के लिए मूल्य निविदाओं की उद्घाटन तिथि सभी ऐसे विक्रेताओं को लिखित रूप में सूचित की जाएगी, तथा निर्धारित उद्घाटन के लिए स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
4. कार्य की अनुमानित लागत प्रति वर्ष लगभग ₹80 लाख है; हालांकि, वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।
5. केवल वे लोग जो योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे ही इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं। चयनित बोलीदाता इक्कीस महीने की अवधि के लिए, अर्थात् 1 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक, सिक्का बैग और नोट बॉक्स के संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में वयस्क एवं सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति करेंगे, जिसे



नियम एवं शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ/बिना एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है, संविदात्मक नियमों एवं शर्तों के संतोषजनक पालन के अधीन।

6. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, अगला कार्यदिवस संबंधित उद्देश्य के लिए प्रभावी होगा। निविदा दस्तावेज www.rbi.org.in तथा www.mstcecommerce.com वेबसाइटों से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा से संबंधित कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट/ई-पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को उक्त निविदा पर किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए नियमित रूप से आरबीआई की वेबसाइट/ई-पोर्टल की जांच करनी चाहिए।

7. उपरोक्त विनिर्दिष्ट सेवाएं सफल बोलीदाता द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, निर्गम विभाग, बेंगलुरु को प्रदान की जानी चाहिए।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिजर्व बैंक
10/3/8 नृपथुंगा रोड
बेंगलूरु – 560 001



ई-निविदा प्रक्रिया की अनुसूची

क्रमांक	ई-टेंडर समय-सारणी	निर्धारित तारीख एवं समय
1	ई-टेंडर संख्या	आरबीआई/बेंगलुरु/निर्गम/2/26-27/ईटी/41
2	कार्यों का विवरण	सिक्का बैग और नोट बॉक्सों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति हेतु टेंडर
3	टेंडर का माध्यम	एमएसटीसी ई-कॉमर्स साइट पर ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (www.mstcecommerce.com/eprocn) (ऑनलाइन - भाग I: तकनीकी बोली, भाग II: मूल्य बोली)
4	कार्य का अनुमानित मूल्य (लगभग)	01 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक इक्कीस महीने अनुबंध अवधि के लिए प्रति वर्ष ₹80,00,000/- (केवल अस्सी लाख रुपये)। वास्तविक राशि भिन्न हो सकती है।
5	टेंडर आमंत्रण सूचना (NIT) डाउनलोड हेतु उपलब्ध तिथि	24 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार, दोपहर 12:00 बजे)
6	लेनदेन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से जैसा भी लागू हो।
7	बयाना धन जमा (EMD)	₹1,60,000/- (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र) नाम: आरबीआई बेंगलुरु खाता संख्या: 8692299 IFSC कोड: RBISOBGPA01
8	ई-टेंडर की शुरुआत की तारीख (ऑनलाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए) www.mstcecommerce.com/eprocn पर	24 अप्रैल, 2026 (शुक्रवार, दोपहर 12:00 बजे)



9	ऑफ़लाइन – प्री-बिड मीटिंग	30 अप्रैल, 2026 (गुरुवार, सुबह 11:00 बजे) निर्गम विभाग, प्रथम मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलूरु
10	ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	15 मई 2026 (शुक्रवार, सुबह 10:00 बजे)
11	EMD जमा करने की अंतिम तिथि	15 मई 2026 (शुक्रवार, सुबह 10:00 बजे)
12	तकनीकी बोली खोलने की तारीख	15 मई 2026 (शुक्रवार, सुबह 11:00 बजे)
13	मूल्य बोली खोलने की तारीख	तकनीकी बोली की जाँच के बाद पात्र पाए गए निविदाकारों को उनके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल आईडी के माध्यम से तिथि और समय सूचित किया जाएगा।

बैंक को न्यूनतम बोली स्वीकार करने का बाध्य नहीं है और किसी भी बोली को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी ई-टेंडर को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

नोट: सभी बोलीदाता ध्यान दें कि ई-टेंडर में किसी भी संशोधन/सुधार, यदि भविष्य में जारी किया जाता है, तो केवल बैंक और MSTC की उपरोक्त वेबसाइटों पर सूचित किया जाएगा; तथा अखबारों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।



भाग - II

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

सभी आपूर्तिकर्ताओं से अनुरोध है कि ऑनलाइन निविदा जमा करने से पूर्व इस निविदा की शर्तों एवं प्रतिबंधों को अवश्य पढ़ें।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

A) पंजीकरण:

यह प्रक्रिया एमएसटीसी ई-प्रॉक्योरमेंट पोर्टल से आपूर्तिकर्ता के निःशुल्क पंजीकरण को शामिल करती है। केवल पंजीकरण के बाद, आपूर्तिकर्ता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से सबमिट कर सकते हैं। तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। आपूर्तिकर्ता के पास कक्षा III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। आपूर्तिकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर से बोली लगाने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी। एमएसटीसी/आरबीआई बेंगलुरु ऐसी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

नोट: तकनीकी बोली और मूल्य बोली को www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन सबमिट करना आवश्यक है:

(i) आपूर्तिकर्ताओं को निम्नलिखित क्रम में ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा: www.mstcecommerce.com ⇒ e-Procurement ⇒ PSU/Govt. depts. ⇒ RBI लोगो चुनें ⇒ Register as Vendor ⇒ विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड बनाएं ⇒ Submit करें।

(ii) आपूर्तिकर्ताओं को अपने पंजीकरण फॉर्म में दिए गए ईमेल पते पर पंजीकरण की पुष्टि करने वाला सिस्टम द्वारा उत्पन्न स्वचालित ईमेल प्राप्त होगा। किसी भी स्पष्टीकरण हेतु, आपूर्तिकर्ता ई-टेंडर की निर्धारित समय सीमा से पूर्व आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

(i) बाबू वी, सहायक प्रबंधक

ईमेल: babuv@rbi.org.in | फोन: 080-22180114 | मोबाइल: 9840753271

(ii) मोहनकुमरा एस, सहायक

ईमेल: mohanakumara@rbi.org.in | फोन: 080-22180114



(iii) दर्शन एम एस, सहायक

ईमेल: darshanms@rbi.org.in | फोन: 080-22180114

संपर्क व्यक्ति (MSTC लिमिटेड):

1. सुमाना माइटी – 983115525

2. सत्य साई – 9441487624

गूगल हैंगआउट आईडी (टेक्स्ट चैट हेतु): mstceproc@gmail.com

MSTC सेंट्रल हेल्पडेस्क: 033-23400020/23400021/23400022

ईमेल: helpdesk@mstcindia.co.in

B) प्रणाली आवश्यकताएं:

(i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम

(ii) आईई-7 या उससे ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र

(iii) हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल सर्टिफिकेट

(iv) सिस्टम में नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर डाउनलोड एवं स्थापित करना आवश्यक है।

(v) डीएससी (DSC) को "साइनर बॉक्स" में दिखाने हेतु "प्रोटेक्टेड मोड" अक्षम करें:

टूल्स → इंटरनेट ऑप्शन्स → सिक्योरिटी → "एनेबल प्रोटेक्टेड मोड" के चेक बॉक्स से टिक हटाकर मोड अक्षम करें।

अन्य सेटिंग्स:

टूल्स → इंटरनेट ऑप्शन्स → जनरल → "ब्राउज़िंग हिस्ट्री/डिलीट ब्राउज़िंग हिस्ट्री" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें → टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स → "प्रत्येक बार जब मैं वेबपेज देखूं" सक्षम करें।

सक्रिय करें: टूल्स → इंटरनेट ऑप्शन्स → कस्टम लेवल में सभी एक्टिवएक्स नियंत्रण सक्षम करें तथा "पॉप-अप ब्लॉकर का उपयोग" अक्षम करें। (सेटिंग्स www.mstcecommerce.com से रन करें)

2. तकनीकी बोली एवं मूल्य बोली को www.mstcecommerce.com/eprocn पर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। निविदाएं निर्धारित तारीख एवं समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।



3. निविदा में समस्त प्रविष्टियां अस्पष्टता रहित ऑनलाइन तकनीकी एवं वाणिज्यिक प्रारूपों में की जानी चाहिए।

4. लेनदेन शुल्क संबंधी विशेष नोट:

आपूर्तिकर्ताओं को वेंडर लॉगिन में "मेरा मेनू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। आपूर्तिकर्ताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट टेंडर का चयन करना होगा। आपूर्तिकर्ता को NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध होगी। NEFT का चयन करने पर, आपूर्तिकर्ता एक फॉर्म भरकर चालान उत्पन्न करेगा। आपूर्तिकर्ता को चालान पर छपे विवरणों के अनुसार लेनदेन शुल्क की राशि का भुगतान करना होगा, बिना उसमें किसी परिवर्तन किए। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, आपूर्तिकर्ता को क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने की सुविधा होगी। जब भुगतान MSTC के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वचालित रूप से अधिकृत हो जाएगा, और आपूर्तिकर्ता को एक सिस्टम द्वारा उत्पन्न ईमेल प्राप्त होगा। **लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।** लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना आपूर्तिकर्ता को ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समाप्ति समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क जमा करें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

5. टेंडर/सुधारात्मक सूचना से संबंधित अपलोड की गई जानकारी केवल टेंडर के अंतिम निपटान तक की प्रक्रिया के दौरान ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। अतः आपूर्तिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनका दिया गया कॉर्पोरेट ईमेल आईडी MSTC के साथ आपूर्तिकर्ता पंजीकरण के समय मान्य और अपडेटेड हो। आपूर्तिकर्ताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) की मान्यता सुनिश्चित करें।

6. NIT में उल्लिखित निर्धारित तिथि और समय के बाद ई-टेंडर तक पहुंच नहीं होगी।

7. ई-निविदा में बोली दान:

a) ईएमडी, निविदा शुल्क एवं लेनदेन शुल्क जमा करना अनिवार्य है (शुल्क अनवर्तनीय; ईएमडी पर ब्याज नहीं)।



- b) तकनीकी एवं मूल्य बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा की जाएगी।
- c) लेनदेन शुल्क जमा करने वाले आपूर्तिकर्ता ही निम्न प्रक्रिया से बोली दे सकते हैं:
www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU/Govt. depts → RBI के तहत लॉगिन → माई मेनू → Auction Floor Manager → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट चयन
- d) बोली मंच खुलने के तुरंत बाद जावा एप्लिकेशन चलाना अनिवार्य है। फिर सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरकर सहेजें। तदोपरांत तकनीकी बोली भरें।
- e) तकनीकी बोली सहेजने के बाद मूल्य बोली का लिंक सक्रिय होगा। दोनों बोलियां सहेजने के उपरांत "अंतिम सबमिशन" बटन दबाएं।
- f) दस्तावेज़ अपलोड करने हेतु "Attach Doc" बटन का उपयोग करें।
- g) बोली जमा करते समय अपना आईडी, पासवर्ड एवं डिजिटल सर्टिफिकेट अवश्य उपयोग करें।
- h) प्रक्रिया में सभी आपूर्तिकर्ता पूर्णतः गुप्त रहेंगे।
- i) बोली मंच निर्धारित तिथि एवं अवधि तक खुला रहेगा।
- j) सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां आपूर्तिकर्ता के लिए बाध्यकारी होंगी।
- k) डिजिटल सर्टिफिकेट के बिना जमा बोली प्रणाली द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।
- l) खरीदार को निविदा को पूर्ण/आंशिक रूप से रद्द/स्वीकार/वापस लेने/बढ़ाने का अधिकार है, बिना कारण बताए।
- m) निविदा दस्तावेज़ की शर्तों में कोई भिन्नता स्वीकार्य नहीं है।
8. इस निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश, उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा।
9. तकनीकी एवं वाणिज्यिक शर्तों में कोई भिन्नता अनुमेय नहीं है।
10. निविदा आमंत्रणकर्ता को बिना कारण बताए ई-निविदा रद्द करने या बोली प्राप्ति की तिथि बढ़ाने का अधिकार है।
11. बोली देने से पूर्व, आपूर्तिकर्ता www.mstcecommerce.com/eproc पर वेंडर गाइड एवं वीडियो अवश्य देखें।



भाग - III

बोलीदाताओं के लिए निर्देश

A. सामान्य	
1. निविदा का क्षेत्र	<p>निविदाकार को मांग में निर्दिष्ट अनुसार पर्याप्त संख्या में वयस्क एवं सक्षम श्रमिकों/मजदूरों की आपूर्ति करनी होगी:</p> <p>(i) बैंक द्वारा पहचाने गए आरबीआई, बेंगलुरु के परिसर या किसी अन्य स्थान पर बैगों में पैक किए गए सिक्कों को लोड, अनलोड, वजन, ढुलाई और स्टैक करने के लिए तथा विविध आकस्मिक कार्यों के लिए।</p> <p>(ii) आरबीआई, बेंगलुरु, रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डों या बैंक द्वारा पहचाने गए किसी अन्य परिसर में नोट बॉक्सों को लोड, अनलोड और स्टैक करने के लिए।</p>
2. प्रतिबंधित प्रथाएं	<p>2.1 बैंक यह आवश्यकता रखता है कि निविदाकार, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, जो बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में रुचि रखते हैं, अनुबंध/संलग्नता की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:</p> <p>(a) इस प्रावधान के उद्देश्यों के लिए, निम्नलिखित शब्दों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:</p> <p>i. "भ्रष्ट अभ्यास" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज़ की पेशकश, देना, प्राप्त करना, या याचना करना;</p> <p>ii. "धोखाधड़ी अभ्यास" का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें एक गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है, किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या किसी दायित्व से बचने के लिए;</p> <p>iii. "जबरदस्ती अभ्यास" का अर्थ है किसी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना या नुकसान पहुंचाना, या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, जिससे किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित किया जाए; और</p>



	<p>iv. "मिलीभगत अभ्यास" का अर्थ है दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था जो एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करना शामिल है;</p> <p>(b) यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित निविदाकार ने प्रश्नाधीन निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है, तो पुरस्कार के लिए प्रस्ताव अस्वीकार कर देगा;</p> <p>(c) यदि किसी भी समय बैंक निर्धारित करता है कि निविदाकार ने अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा में या अनुबंध के निष्पादन में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है, तो वह निविदाकार को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अपात्र घोषित कर सकता है;</p>
3. पात्रता मानदंड	<p>3.1 निविदाकार अनुभवी, संसाधन-सम्पन्न, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त संस्था (कंपनी/साझेदारी/स्वामित्व फर्म आदि) होने चाहिए तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने चाहिए:</p> <p>(i) निविदाकार के पास केंद्र/राज्य सरकार/PSUs/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों के लिए समान प्रकार की सेवाओं (समान कार्य का अर्थ है प्रत्येक समान पूर्ण किया गया कार्य जो एकल निविदा/अनुबंध के तहत किया गया हो) का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव (निविदा खोलने से पूर्व मार्च माह तक) होना चाहिए। ऐसी सेवाओं के साथ-साथ केंद्र/राज्य/PSUs/राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची और सेवा की अवधि प्रस्तुत की जानी चाहिए।</p> <p>(ii) निविदाकार के पास पिछले तीन वर्षों में, अर्थात् वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, समान सेवाओं (समान सेवाओं की परिभाषा स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए) का सफलतापूर्वक निष्पादन/पूर्ण होना चाहिए:</p> <p>a) तीन समान पूर्ण की गई सेवाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) से कम नहीं हो; या</p> <p>b) दो समान पूर्ण की गई सेवाएं, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) से कम नहीं हो; या</p>



	<p>c) एक समान पूर्ण की गई सेवा, जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) से कम नहीं हो।</p> <p>(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, जिसकी समाप्ति पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को होती है, अनुबंध की अनुमानित लागत का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार कम से कम 30% होना चाहिए, जिसका समर्थन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण द्वारा किया जाए।</p> <p>(iv) नवीनतम लेखापरीक्षित आर्थिक चिट्ठे के अनुसार धनात्मक शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। निविदाकारों को बैंक द्वारा उचित रूप से प्रमाणित देयता साक्ष्यपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।</p> <p>(v) ठेकेदार के पास भारत सरकार द्वारा अनुबंध श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) और अनुबंध श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए।</p> <p>(vi) निविदाकार के पास कर्तव्यों को पूरा करने के लिए लागू होने पर स्थायी खाता संख्या (PAN) और GSTN संख्या होनी चाहिए।</p> <p>(vii) अनुबंध के सफलतापूर्वक आवंटन की स्थिति में, निविदाकार के पास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर अनुबंध के निष्पादन हेतु कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए।</p> <p>(viii) निविदाकार को किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के साथ खाता रखना चाहिए। बैंक के नाम और खाते की प्रकृति की जानकारी बैंक को प्रदान की जानी चाहिए।</p> <p>नोट: निविदाकारों को अपनी आवश्यक योग्यता/पात्रता के दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए।</p>
4. निविदा दस्तावेज का संशोधन	4.1 बोली जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी भी समय, बैंक RBI वेबसाइट (www.rbi.org.in) / MSTC पोर्टल पर संशोधन/सुधारात्मक अधिसूचना जारी करके इस दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। ऐसे सभी संशोधन इस दस्तावेज का अभिन्न अंग होंगे।



	4.2 बोलीदाताओं को संशोधनों को अपनी बोली में शामिल करने हेतु उचित समय उपलब्ध कराने के लिए, बैंक अपनी विवेकाधीन बोली जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।
B. निविदा की तैयारी	
5. निविदा तैयारी की लागत	निविदाकार अपनी निविदा की तैयारी एवं जमा करने से संबंधित समस्त लागतों का भार वहन करेगा। निविदा प्रक्रिया के आचरण या परिणाम के बावजूद, बैंक इन लागतों के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।
6. निविदा के घटक दस्तावेज	निविदा निम्नलिखित भागों से युक्त होगी: भाग I: निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) भाग II: ई-प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण निर्देश भाग III: बोलीदाताओं के लिए निर्देश (ITB) भाग IV: अनुबंध की शर्तें एवं प्रतिबंध भाग V: निविदा फॉर्म – भाग-I (तकनीकी बोली) भाग VI: तकनीकी बोली के साथ जमा करने हेतु दस्तावेजों की सूची भाग VII: भाग-I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन भाग VIII: निविदा फॉर्म – भाग-II (मूल्य बोली)
7. निविदा पत्र	निविदाकार ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से कक्षा III डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए बिना किसी परिवर्तन के निविदा जमा करेगा। सभी खाली स्थानों में अपेक्षित जानकारी भरी जानी चाहिए।
8. निविदाकार की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज	भाग III (अनुच्छेद 3) के अनुसार अनुबंध का कार्यान्वयन करने की योग्यता स्थापित करने हेतु, निविदाकार को निविदा जमा करते समय संबंधित समस्त दस्तावेज/अभिलेख/जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदा की वैधता अवधि	9.1 निविदा की वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिन तक होगी। 9.2 अपवादात्मक परिस्थितियों में, वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व बैंक निविदाकारों से लिखित रूप में वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध एवं उत्तर लिखित रूप में ही प्रस्तुत किए जाएंगे।
10. EMD को निविदा सुरक्षा के रूप में	10.1 निविदाकारों को e-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक EMD और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा।



	<p>लेनदेन शुल्क वापसी योग्य नहीं है। EMD पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल आपूर्तिकर्ता(ओं) की EMD निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस की जाएगी।</p> <p>10.2 ₹1,60,000/- (केवल एक लाख साठ हजार रुपये) की ईमानदारी जमा राशि (EMD) भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी होगी। EMD राशि को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए खाता और अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:</p> <p>₹1,60,000/- (केवल एक लाख साठ हजार रुपये) नाम: आरबीआई बेंगलुरु खाता संख्या: 8692299 (ईमानदारी जमा राशि प्राप्त) IFSC कोड: RBIS0BGPA01 (दोनों शून्य)</p>
C. निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना	
11. निविदा का प्रस्तुतीकरण, सीलिंग एवं अंकन	<p>11.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों को ई-निविदा संबंधी निर्देशों में वर्णित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।</p> <p>11.2 निविदाकार निर्धारित प्रारूप (भाग-I) में तकनीकी बोली के साथ भाग VI में दी गई दस्तावेजों की प्रतियां एवं निर्धारित प्रारूप (भाग-II) में मूल्य बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) जमा करेंगे। ई-निविदा समस्त सूचनाओं सहित अंतिम तिथि को निर्धारित समय तक जमा की जानी चाहिए।</p> <p>11.3 यदि अपेक्षित/निर्धारित सूचना जमा नहीं की जाती है, तो निविदा अस्वीकृति के लिए बैंक कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा।</p>
12. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	<p>12.1 निविदाएं इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि एवं समय से पूर्व भरी जानी चाहिए।</p> <p>12.2 बैंक अपनी विवेकाधीन निविदा दस्तावेज़ में संशोधन करके निविदा जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।</p>
13. विलंबित निविदाएं	ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद निविदा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी।
14. निविदा खोलना	बैंक निर्धारित तिथि को निविदा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोलना करेगा।



D. निविदाओं की जांच	
15. गोपनीयता	निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित सूचना अनुबंध स्वीकृति संबंधी सूचना सभी निविदाकारों को सूचित होने तक, निविदाकारों या इस प्रक्रिया से आधिकारिक रूप से संबंधित नहीं होने वाले व्यक्तियों को प्रकट नहीं की जाएगी।
16. निविदा के स्पष्टीकरण	<p>16.1 निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना एवं निविदाकारों की पात्रता स्थापित करने में सहायता हेतु, बैंक अपनी विवेकाधीन निविदाकार से लिखित रूप में उचित समय सीमा के भीतर स्पष्टीकरण मांग सकता है। बैंक द्वारा अनुरोध न किए जाने पर निविदाकार द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को विचार नहीं किया जाएगा। निविदा में मूल्य या विषयवस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिवाय बैंक द्वारा निविदा मूल्यांकन में पाई गई गणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि के लिए।</p> <p>16.2 यदि निविदाकार बैंक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।</p>
E. निविदा मूल्यांकन और तुलना	
17. निविदाकार की पात्रता	बैंक अनुभाग III (अनुच्छेद 3) के अनुसार चयनित निविदाकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा किए जाने की संतुष्टि का निर्धारण करेगा।
18. निविदाओं की जांच/मूल्यांकन	<p>टेंडर दो भागों में विभाजित होंगे, अर्थात् भाग I "कार्य का दायरा एवं वाणिज्यिक शर्तें" तथा भाग II "मूल्य बोली", जो ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से अलग-अलग जमा किए जाएंगे:</p> <p>i). भाग I: कार्य का दायरा एवं वाणिज्यिक शर्तें निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:</p> <p>a. ₹1,60,000/- (एक लाख साठ हजार रुपये मात्र) की ईमानदारी जमा राशि, जो NEFT/RTGS के माध्यम से जमा की जाएगी। इस जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>b. अनुभाग VI में उल्लिखित दस्तावेज़।</p>



	<p>ii). भाग II: "मूल्य बोली" भाग II में केवल भारतीय रुपये में मूल्य विवरण अंकों एवं शब्दों में अनुभाग VIII में निर्दिष्ट प्रारूप में विस्तृत रूप से जमा किया जाएगा। भाग II में अन्य कोई संलग्नक अनुमत नहीं है। भाग II में पाए जाने वाले किसी भी शर्तों/परिवर्तन को शून्य और अमान्य माना जाएगा। उद्धृत दरें समाप्त कार्य के लिए मानी जाएंगी और किसी भी प्रकार की वृद्धि के बिना दृढ़ एवं बाध्यकारी होंगी।</p> <p>iii). टेंडर का भाग I उपस्थित बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा।</p> <p>iv). टेंडर की पहले समीक्षा की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे टेंडर दस्तावेज़ में निर्दिष्ट आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं या नहीं। मूल आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले टेंडर को अनुत्तरदायी मानकर अनदेखा किया जाएगा।</p> <p>v). भाग I की समीक्षा के बाद पात्र घोषित बोलीदाताओं के भाग II (मूल्य बोली) को इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि पर खोला जाएगा।</p> <p>vi). बैंक उस बोलीदाता/बोलीदाताओं को अनुबंध देगा जिसकी बोली टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों के प्रति सार्थक रूप से अनुत्तरदायी पाई जाएगी तथा जिसने अनुमानित मूल्य के अनुरूप युक्तिसंगत बोली मूल्य प्रस्तुत किया होगा, जिसमें अनुबंध के सभी घटकों के मूल्य को ध्यान में रखकर L1 निर्धारित किया जाएगा।</p> <p>vii). टेंडर का मूल्यांकन टेंडर दस्तावेज़ में पहले से निर्दिष्ट शर्तों एवं बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत शर्तों के आधार पर किया जाएगा। टेंडर की समीक्षा एवं मूल्यांकन के दौरान कोई नई शर्त नहीं जोड़ी जाएगी।</p>
19. बैंक का निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार	कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक न्यूनतम बोली या किसी भी निविदा को स्वीकार करने का अधिकार रखता है। निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक किसी भी निविदा को पूर्ण/आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार रखता है, बिना किसी कारण बताए।
F. अनुबंध स्वीकृति	
20. अनुबंध अवधि	20.1 बैंक द्वारा निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार अनुबंध लागू करने के लिए बाध्य होगा। भाग IV में निर्दिष्ट



	<p>शर्तों के अनुसार, सफल निविदाकार को एक सप्ताह के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।</p> <p>20.2 अनुबंध स्वीकृति इक्कीस महीने (1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2028 तक) की अवधि के लिए वैध होगी। बैंक, अनुबंधित शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, एक वर्ष के लिए अवधि बढ़ा सकता है (शर्तों में परिवर्तन/अपरिवर्तन के साथ)।</p>
--	--

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:

A. सामान्य शर्तें:

- (i) बैंक निविदा दस्तावेज़ की पूर्णता के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- (ii) यदि कोट की दरों में अंकों और शब्दों के बीच कोई अंतर हो, तो निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में दी गई दर को विचार में लिया जाएगा।
- (iii) निविदाकर्ता से अपेक्षित है कि वह निविदा दस्तावेज़ में दिए गए सभी निर्देशों, फॉर्म, शर्तों और विनिर्देशों की जांच करे। निविदा दस्तावेज़ द्वारा आवश्यक सभी/किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ प्रदान न करने की स्थिति में निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।

B. निविदाओं को अयोग्य ठहराने/अस्वीकार करने की स्थितियाँ

- (i) निविदाकर्ता या उसके पक्ष से किसी भी प्रकार का दबाव डालना, चुनावी प्रचार या राजनीतिक/बाह्य प्रभाव डालने का प्रयास निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता का कारण बनेगा। ऐसे निविदाकर्ताओं को न्यूनतम एक वर्ष (अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाए जाने योग्य) के लिए काली सूची में डाला जाएगा। यदि ऐसी घटनाएँ चयन प्रक्रिया के दौरान अवलोकित नहीं होतीं, परंतु बाद में पता चलती हैं, तो अयोग्यता तुरंत प्रभावी होगी।
- (ii) सभी निविदाएं सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए, जिनमें सभी संलग्नक/परिशिष्ट शामिल हों। अपूर्ण प्रपत्र, निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्राप्त निविदाएं या उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना प्राप्त निविदाएं बैंक द्वारा तुरंत एवं पूर्णतः अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- (iii) फैक्स, ईमेल या निर्दिष्ट अन्य किसी माध्यम से प्राप्त निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी और तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी। इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iv) निर्धारित ईमानदारी जमा राशि (EMD)/प्रसंस्करण शुल्क के बिना या कम राशि के साथ प्राप्त बोलियां तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी।



- (v) निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाएं तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी।
- (vi) शर्तों सहित निविदाएं तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी तथा कोई अतिरिक्त शर्त स्वीकार नहीं की जाएगी।
- (vii) निविदा सबमिट करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती। निविदा सबमिट करने की अंतिम तिथि और निविदा वैधता अवधि समाप्ति के बीच के अंतराल में निविदा वापस नहीं ली जा सकती। इस अंतराल में निविदा वापस लेने से ईमानदारी जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
- (viii) वैकल्पिक प्रस्ताव/पूर्णता की समय सीमा अनुमत नहीं होगी।

C. विवाद निपटान

- (i) यदि बैंक और ठेकेदार/प्रतिपक्ष के बीच अनुबंध से संबंधित या उसके कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षों को एक-दूसरे को बातचीत/सौहार्दपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए नोटिस देने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर, विश्वास के साथ पारस्परिक चर्चा के माध्यम से इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।
- (ii) यदि उक्त अवधि के भीतर सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं निकलता है, तो विवाद को 1996 के सुलह एवं मध्यस्थता अधिनियम, जैसा कि समय-समय पर संशोधित, के अनुसार मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से संदर्भित किया जाएगा और अंतिम रूप से निपटाया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा और इसे अनुबंध पर लागू किया जाएगा।

D. बलात्कारी परिस्थिति

इस दस्तावेज़ में अन्य किसी बात के होने के बावजूद, कोई भी पक्ष अपने यहाँ निर्धारित कर्तव्यों के पालन में होने वाले विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसा विलंब उसके युक्तिसंगत नियंत्रण से परे की परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हो (जिसमें बिना सीमा के सरकारी कार्य, ईश्वर की कृतियाँ, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाएँ, किसी क्षेत्र में हड़तालें, दंगे, नेटवर्क विफलता, आतंकी हमले, युद्ध (घोषित एवं अघोषित) शामिल हैं); बशर्ते कि ऐसे विलंब करने वाले पक्ष के आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए किसी विलंब से उस पक्ष को दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक कि ऐसा विलंब आपूर्तिकर्ता के युक्तिसंगत नियंत्रण से परे न हो।



E. अस्वीकरण

- (i) इस दस्तावेज़ की तैयारी में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, तथापि निविदाकर्ताओं को स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है। किसी भी असंगति की तुरंत इस कार्यालय को सूचना देनी चाहिए। यदि निविदा आमंत्रण पत्र (NIT) की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी निविदाकर्ता द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो इसे पूर्णतः पूर्ण दस्तावेज़ माना जाएगा।
- (ii) बैंक को इस दस्तावेज़ सहित सभी प्रारूपों एवं परिशिष्टों में संशोधन, परिवर्तन या संपूरक करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (iii) यद्यपि इस दस्तावेज़ को ईमानदारी से तैयार किया गया है, तथापि बैंक या उसके कर्मचारी/सलाहकार द्वारा इसमें उल्लिखित किसी विवरण या लुप्तता से संबंधित, जानकारी की पूर्णता, सटीकता या विश्वसनीयता के संदर्भ में कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिनिधित्व, गारंटी, दायित्व या जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की जाती है। इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता से संबंधित किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियमों के तहत बैंक पर कोई दायित्व नहीं होगा, भले ही इसके कार्य या अनुपस्थिति से कोई हानि या क्षति हुई हो।

F. गोपनीयता घोषणा

- (i) इस निविदा दस्तावेज़ में निहित या बाद में बैंक या उसके कर्मचारियों द्वारा मौखिक या लिखित रूप में निविदाकर्ताओं को प्रदान की गई सभी जानकारी, इस निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के अधीन होगी।
- (ii) इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकर्ताओं को अपने प्रस्तावों के निर्माण में सहायता हेतु जानकारी प्रदान करना है।
- (iii) यह निविदा दस्तावेज़ प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा आवश्यक समस्त जानकारी समाहित करने का दावा नहीं करता।
- (iv) यह निविदा दस्तावेज़ सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, तथा बैंक एवं/या उसके कर्मचारियों के लिए इस दस्तावेज़ को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक निविदाकर्ता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति एवं विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार करना संभव नहीं है।
- (v) प्रत्येक निविदाकर्ता को स्वयं अनुसंधान एवं विश्लेषण करना चाहिए तथा इस निविदा दस्तावेज़ में उल्लिखित जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता एवं पूर्णता की जांच करनी चाहिए; आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।



(vi) बैंक एवं कर्मचारी जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या गारंटी नहीं देते तथा किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियमों के तहत इस निविदा दस्तावेज़ से संबंधित कोई दायित्व नहीं लेंगे।

(vii) यह दस्तावेज़ एवं उसमें निहित जानकारी गोपनीय है तथा केवल निविदाकर्ताओं के उपयोग हेतु आवंटित है।



भाग IV

वयस्क एवं सक्षम श्रमिकों की पर्याप्त संख्या के लिए आपूर्ति हेतु सिक्कों की थैलियों एवं नोट बॉक्सों के परिवहन हेतु

कार्य का दायरा:

निविदाकार निम्नलिखित कार्य हेतु मांगपत्र में निर्दिष्ट वयस्क एवं सक्षम श्रमिकों/मजदूरों की पर्याप्त संख्या की आपूर्ति करेगा:

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी परिसर में थैलियों में पैक किए गए सिक्कों के लोडिंग, अनलोडिंग, वजन, ढुलाई, ढेर लगाने तथा अन्य विविध सहायक कार्य हेतु।
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक, बेंगलुरु, रेलवे स्टेशन/विमानक्षेत्रों या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी परिसर में पूर्ण नोट बॉक्सों के लोडिंग, अनलोडिंग एवं ढेर लगाने हेतु।

पात्रता:

निविदाकार एक प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं लाइसेंसधारी श्रम ठेकेदार होना चाहिए जिसके पास निम्नलिखित योग्यताएँ हों:

(i) बोली खोलने से पूर्व मार्च माह तक समाप्त तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यह अनुभव केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों/प्रतिष्ठित संगठनों को समान प्रकार की सेवाएँ (समान कार्य का अर्थ है: एकल निविदा/अनुबंध के तहत पूर्ण किए गए प्रत्येक समान कार्य) प्रदान करने का होना चाहिए। सेवा प्रदान करने की सूची के साथ ऐसे केंद्र/राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम एवं सेवा अवधि दर्ज करनी होगी।

(ii) बोलीदाता ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित) के दौरान निम्नलिखित में से कोई एक पात्रता पूरी करनी चाहिए:

- (a) 40% (चालीस प्रतिशत) अनुमानित लागत के बराबर या अधिक लागत वाले तीन समान पूर्ण कार्य;
- (b) 50% (पचास प्रतिशत) अनुमानित लागत के बराबर या अधिक लागत वाले दो समान पूर्ण कार्य;
या
- (c) 80% (अस्सी प्रतिशत) अनुमानित लागत के बराबर या अधिक लागत वाला एक समान पूर्ण कार्य।



(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों (पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक) के दौरान अनुमानित लागत का कम से कम **30% के बराबर न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार**, जो लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित हो।

(iv) नवीनतम लेखापरीक्षित आर्थिक चिट्ठे के अनुसार धनात्मक निवल संपत्ति। निविदाकारों को बैंक द्वारा उचित रूप से प्रमाणित साख साक्षात्कार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) ठेकेदार के पास भारत सरकार के सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए, जो अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) तथा अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत प्रदान किया गया हो।

(vi) निविदाकार के पास कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लागू पैन (स्थायी खाता संख्या) तथा जीएसटीएन संख्या होनी चाहिए।

(vii) अनुबंध के सफलतापूर्वक आवंटन की स्थिति में, निविदाकार के पास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के नगर निगम क्षेत्र के भीतर अनुबंध के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए।

(viii) निविदाकार को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में से किसी एक के साथ खाता रखना होगा। बैंक का नाम तथा खाते की प्रकृति बैंक को प्रदान की जानी चाहिए।

नोट: निविदाकारों को आवश्यक योग्यता/पात्रता के दावों का समर्थन करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे।

प्रारंभ / नवीकरण:

(i) बैंक द्वारा उसकी बोली स्वीकार करने की सूचना प्राप्त होने के बाद, सफल ठेकेदार को अनुबंध को निष्पादित एवं लागू करने का बाध्यकारी दायित्व होगा। सफल ठेकेदार को बोली दस्तावेज़ एवं दर सूची में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित करना होगा।

(ii) अनुबंध इक्कीस महीने (अर्थात् 01 जुलाई 2026 – 31 मार्च 2028) के लिए वैध रहेगा, जिसे बैंक द्वारा अनुबंध की शर्तों के संतोषजनक पालन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकता है, चाहे शर्तों में कोई परिवर्तन हो या न हो। इसके बाद नए अनुबंध हेतु नई बोली प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।



(iii) जब अनुबंध की अवधि समाप्त होने वाली हो, तो बैंक द्वारा अनुबंध के विस्तार का विचार किया जाएगा। मौजूदा अनुबंध समाप्ति से तीन माह पूर्व, ठेकेदार को लिखित रूप में बैंक को सूचित करना होगा कि वह वर्तमान शर्तों पर अनुबंध को पुनर्नवीनीकरण करना चाहता है या नहीं।

निश्चित धन जमा (EMD):

बोली में निर्दिष्ट कार्य की कुल अनुमानित लागत के 2% की राशि के रूप में सभी बोलीदाताओं से निश्चित धन जमा आगे के रूप में एकत्रित किया जाएगा।

प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG):

बैंक द्वारा अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर, अर्थात् **₹4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र)** की राशि की प्रदर्शन बैंक गारंटी (PBG), RBI द्वारा पुरस्कार सूचना जारी करने के 10 दिनों के भीतर ठेकेदार से प्राप्त की जाएगी। यह गारंटी अनुबंध की पूर्ण अवधि के लिए वैध रहेगी। अनिवार्य परिस्थितियों में PBG समर्पित करने में देरी होने पर, बैंक द्वारा ठेकेदार के बिलों से देरी के लिए ब्याज की राशि वसूली जाएगी। PBG की राशि पर कोई ब्याज नहीं देय होगा।

ठेकेदार के कर्तव्य:

- (i) ठेकेदार का दायित्व अनुबंध की वैध अवधि तक इसका सफल निष्पादन सुनिश्चित करना रहेगा। यदि ठेकेदार कार्य की पूर्ति में असफल रहता है, तो उसकी PBG को सक्रिय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार बैंक को किसी भी क्षति से सुरक्षित रखेगा, जो उसकी लापरवाही के कारण हो।
- (ii) ठेकेदार को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुद्रा विभाग, बेंगलुरु के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-इन-चार्ज या उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा लिखित या मौखिक आदेश प्राप्त होने के 12 घंटे के भीतर, आवश्यकतानुसार कार्यकर्ताओं/श्रमिकों की संख्या की आपूर्ति करनी होगी।
- (iii) आवश्यकता के अनुसार, यहां तक कि सामान्य कार्य घंटों से बाहर या सार्वजनिक अवकाशों (सहित शनिवार, रविवार एवं अन्य अधिनियमों के तहत घोषित अवकाशों) पर भी निर्देशों का पालन करना होगा। आपात स्थिति में, ठेकेदार को 3 घंटे की अल्प अवधि में पर्याप्त कार्यकर्ता उपलब्ध कराना होगा।
- (iv) ठेकेदार अनुबंध को अन्य किसी को सौंप नहीं सकता या उसका कोई भाग उप-ठेके पर नहीं दे सकता, सिवाय बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के। इस शर्त का उल्लंघन होने पर बैंक अनुबंध रद्द कर सकता है और PBG को जब्त कर सकता है।



- (v) ठेकेदार को बैंक को किसी भी क्षति या हानि की भरपाई करनी होगी, जो कार्यकर्ताओं की अयोग्यता, अपर्याप्त संख्या, तौलन, लोडिंग, अनलोडिंग आदि में लापरवाही, या धोखाधड़ी के कारण हो।
- (vi) बैंक को किसी कार्यकर्ता को नियुक्त करने से रोकने या उसकी सेवाओं को समाप्त करने का अधिकार है। ऐसे निर्देश का पालन न करने पर, बैंक ₹500/- (पांच सौ रुपये) प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकता है।
- (vii) ठेकेदार को कार्यकर्ताओं के लिए दुर्घटना बीमा कवर रखना अनिवार्य है। बैंक द्वारा मांगे जाने पर बीमा नीति की प्रति देनी होगी।
- (viii) ठेकेदार को अनुबंध स्वीकृति के पश्चात् कार्यकर्ताओं की सूची, फोटो, पते एवं पुलिस द्वारा सत्यापित पृष्ठभूमि की जानकारी बैंक को उपलब्ध करानी होगी।
- (ix) सभी कार्य नोट बॉक्स एवं सिक्का बैगों को क्षति न पहुंचाए जाने की स्थिति में संपादित किए जाएंगे।
- (x) कार्यकर्ताओं का अनुपस्थिति/उपस्थिति रिकॉर्ड ठेकेदार की जिम्मेदारी होगा।
- (xi) ठेकेदार को कार्यकर्ताओं को फोटो आईडी कार्ड जारी करना होगा तथा अनुशासन बनाए रखना होगा।

भुगतान एवं कर:

- (i) भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।
- (ii) ठेकेदार को इस समझौते की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए शुल्क दिया जाएगा। ये शुल्क निश्चित हैं और पूरे अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी आधार पर बढ़ाए नहीं जा सकते, तथा ठेकेदार द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क का दावा नहीं किया जा सकता। उद्धृत कीमतें केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा वर्तमान दरों पर लगाए जाने वाले सभी करों, शुल्कों, स्थानीय करों, कार्य अनुबंध कर, जीएसटी या अन्य करों को सम्मिलित करेंगी। यदि बोलीदाता ने बोली में इन करों एवं शुल्कों को शामिल नहीं किया है, तो बैंक द्वारा बाद में इसका कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (iii) बैंक को भुगतान के बाद ऑडिट या तकनीकी जांच द्वारा पता चलने वाले किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वसूली का अधिकार सुरक्षित है।
- (iv) अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि या अन्य धनराशि ठेकेदार को देय या भुगतान योग्य राशि से काटी जाएगी। अंतिम विकल्प के रूप में PBG को सक्रिय किया जा सकता है।
- (v) यदि किसी दायित्व के उद्भव पर कोई विवाद होता है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, बंगलुरु के क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी-इन-चार्ज का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।



अयोग्यता/ समाप्ति/ जुर्माना:

- (i) यदि कोई बोलीदाता या उसकी ओर से बैंक के निर्णय पर प्रभाव डालने के लिए किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार या राजनीतिक दबाव डालने का प्रयास करता है, तो इसे गंभीर अनुचित आचरण माना जाएगा। ऐसी स्थिति में उसकी बोली अस्वीकार की जाएगी तथा उसे न्यूनतम एक वर्ष (अधिकतम तीन वर्ष तक) के लिए काली सूची में डाला जाएगा। यदि यह तथ्य चयन प्रक्रिया के दौरान अनिर्धारित रहता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- (ii) किसी भी पक्ष द्वारा तीन माह की लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- (iii) यदि ठेकेदार द्वारा बैंक द्वारा जारी कार्यकर्ताओं की आपूर्ति हेतु अनुरोध का पालन न करने या गंभीर उल्लंघन होने पर, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, बेंगलुरु के महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-इन-चार्ज के निर्णय से ठेकेदार पर ₹5,000 (पांच हजार रुपये मात्र) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- (iv) यदि ठेकेदार को कुल अनुबंध मूल्य का पांच प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जाता है, तो इक्कीस महीने की प्रारंभिक अवधि से अधिक का विस्तार नहीं किया जाएगा।

विधियों का पालन:

ठेकेदार को देश एवं संबंधित राज्यों में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा। ठेकेदार बैंक को अपनी लापरवाही के कारण उत्पन्न किसी भी कानूनी परिणाम से सुरक्षित रखेगा।

- (i) बोलीदाता को श्रम, कराधान, श्रमिक सुरक्षा, बाल एवं महिला श्रमिक, रोजगार आरक्षण आदि से संबंधित सभी विधियों का पालन सुनिश्चित करना होगा। बोलीदाता को जीएसटी, आयकर, पैन, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 आदि से संबंधित संस्थाओं के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- (ii) ठेकेदार को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC), भत्ता आदि का भुगतान अपने तैनात श्रमिकों को करना होगा।
- (iii) मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अधिनियम, 1952, भत्ता अधिनियम, 1965 तथा ESI अधिनियम के तहत लाभ प्रदान किए जाएंगे। ESI के अभाव में, ठेकेदार को श्रमिक क्षतिपूर्ति बीमा अधिनियम, 1923 के तहत बीमा कवर उपलब्ध कराना होगा। बीमा प्रीमियम का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार के पास अपने श्रमिकों के लिए PF योगदान करने हेतु वैध खाता होना आवश्यक है।



- (iv) ठेकेदार द्वारा बाल श्रमिकों की आपूर्ति वर्जित है, जो बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत प्रतिबंधित है।
- (v) ठेकेदार द्वारा मजदूरी का भुगतान अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी। ठेकेदार को तिमाही आधार पर बैंक को मजदूरी भुगतान विवरण प्रस्तुत करने होंगे। यदि नकद भुगतान किया जाता है, तो यह बैंक के अधिकारी की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर से किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, कर्मचारियों के बैंक खातों में राशि जमा कराकर बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- (vi) मुख्य नियोक्ता (बैंक) ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के लिए रोजगार लाभों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि बैंक को कानून के तहत ठेकेदार के श्रमिकों को भुगतान करना पड़ता है, तो यह राशि ठेकेदार से दायित्व के रूप में वसूली जाएगी।
- (vii) ठेकेदार को यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा। यदि किसी शिकायत की स्थिति में, ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न रोकथाम से संबंधित जागरूकता देने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (viii) यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बैंक के कर्मचारी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की शिकायत होती है, तो बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी।
- (ix) यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा सिद्ध होती है, तो ठेकेदार को बैंक के कर्मचारी को देय क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना होगा।

गोपनीयता खंड:

ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने अनुबंधित दायित्वों का पालन करते समय जो भी बैंक की अवसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित जानकारी, सामग्री और विवरण उसके पास या ज्ञान में आता है, उसे किसी भी तीसरे पक्ष को सीधे या परोक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा और इसे हर समय पूर्ण गोपनीयता के साथ रखेगा। ठेकेदार अनुबंध के विवरणों को निजी एवं गोपनीय मानेगा, सिवाय उस हद तक जहां इसका पालन अनुबंध के दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक हो। बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना ठेकेदार कार्यों से संबंधित किसी भी विवरण को किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्यत्र प्रकाशित, प्रकाशित होने देने या प्रकट नहीं करेगा। गोपनीय जानकारी के प्रकट होने से बैंक को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, जिसके कारण बैंक को नुकसान की मांग और कानूनी उपायों का अधिकार प्राप्त होगा। ठेकेदार इस समझौते के तहत



गोपनीय जानकारी के गोपनीयता दायित्व को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा। गोपनीयता एवं गोपनीयता से संबंधित ठेकेदार के दायित्व इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी वैध रहेंगे।

श्रमिक सुरक्षा एवं बीमा:

- (क) ठेकेदार अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, सुरक्षा एवं जीवन बीमा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
- (ख) ठेकेदार बैंक द्वारा स्वीकृत शर्तों एवं प्रावधानों के अनुसार, अपनी लागत पर जोखिमों के लिए बीमा उपलब्ध कराएगा और अनुबंध में निर्दिष्ट कवरेज का अनुपालन करेगा।
- (ग) ठेकेदार अपने कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य के दौरान सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने आदि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करेगा।
- (घ) कार्यकर्ताओं द्वारा कार्य करते समय होने वाली किसी घातक चोट/मृत्यु की स्थिति में बैंक कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (ङ) उद्धृत दरें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी और सभी कानूनी दायित्वों को सम्मिलित करेंगी।
- (च) अनुबंध के तहत नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित सभी प्रकार के दायित्वों के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा, और बैंक उनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किसी भी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ठेकेदार को सुनिश्चित करना चाहिए कि तैनात किए जाने वाले व्यक्ति शराबी, नशीले पदार्थों के आदी न हों तथा बैंक के हितों के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि में लिप्त न हों। ठेकेदार को अपने द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मियों के लिए पुलिस सत्यापन कराना सुनिश्चित करना चाहिए तथा ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तैनात किए गए कर्मियों का चरित्र उत्तम हो।

विवाद निपटान तंत्र एवं मध्यस्थता:

- (क) यदि बैंक और ठेकेदार के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो पक्षों को 30 दिनों के भीतर पारस्परिक चर्चा के माध्यम से मैत्रीपूर्ण समाधान का प्रयास करना होगा।
- (ख) यदि 30 दिनों के भीतर समाधान नहीं होता है, तो विवाद को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अनुसार अंतिम रूप से निपटाया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा पारित आदेश पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।



आवश्यक दस्तावेज:

सभी बोलीदाताओं को अपनी बोलियों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र, GST पंजीकरण, पैन, EPF/ESI लाइसेंस, श्रम लाइसेंस, निजी सुरक्षा एजेंसियों अधिनियम, 2005 के तहत लाइसेंस आदि।
2. पिछले तीन वर्षों के सेवा मूल्य का विवरण।
3. पिछले तीन वर्षों की सेवाओं के अनुभव एवं कायदेशि प्रतिियां।
4. अनुबंध हेतु कार्यशील पूंजी का प्रमाण।
5. पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।
6. बैंक खाता विवरण।
7. बैंकर्स से संदर्भ लेने के लिए प्राधिकरण।
8. पिछले तीन वर्षों में लंबित विवादों का विवरण।
9. अनुबंध मूल्य के 10% से अधिक के उप-अनुबंध प्रस्ताव (यदि कोई हो)।

बोलियों की जांच/मूल्यांकन:

- (i) टेंडर दो भागों में विभाजित होंगे, अर्थात् भाग I। "कार्य का दायरा एवं वाणिज्यिक शर्तें" तथा भाग II। "मूल्य बोली", जो ऑनलाइन बिडिंग पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे:
 - a. ₹1,60,000/- (एक लाख साठ हजार मात्र) की ईमानदारी जमा राशि, जो NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा की जाएगी। इस जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
 - b. कंपनी/फर्म के मुहरित प्राधिकार पत्र/अधिकार-पत्र, जिसमें टेंडर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम उल्लिखित हो।
 - c. टेंडर के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य एवं दस्तावेज।
 - d. अंगीकारपत्र, जिसमें बताया गया हो कि बोलीदाता किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान का जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं है तथा कंपनी/व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
 - e. मूल्य विवरण अनुसूची के अनुसार सभी घटकों को सूचीबद्ध करते हुए "मास्कड संकेतात्मक मूल्य बोली" (किसी भी मूल्य का उल्लेख न करते हुए)।
 - f. अन्य कोई जानकारी जो बोलीदाता देना चाहे।



(ii) भाग II (मूल्य बोली) में केवल भारतीय रुपये में मूल्य विवरण (अंकों एवं शब्दों में) विस्तृत रूप से जमा किया जाएगा। भाग II में अन्य कोई संलग्नक अनुमत नहीं है। भाग II में पाए जाने वाले किसी भी शर्तों/परिवर्तन को अमान्य माना जाएगा।

(iii) टेंडर का भाग I उपस्थित बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

(iv) टेंडर की पहले समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे टेंडर दस्तावेज़ में निर्दिष्ट मूल आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या नहीं। मूल आवश्यकताओं को पूरा न करने वाले टेंडर को अनुत्तरदायी मानकर अनदेखा किया जाएगा।

(v) बोलीदाताओं को टेंडर जमा करने से पूर्व रेलवे स्टेशन और बैंक के परिसर आदि कार्य स्थलों का दौरा कर साइट की स्थिति से अवगत होने की सलाह दी जाती है।

(vi) भाग I की समीक्षा के बाद पात्र घोषित बोलीदाताओं के भाग II (मूल्य बोली) को अगले कार्यदिवस को खोला जाएगा।

(vii) बैंक उस बोलीदाता को अनुबंध देगा जिसकी बोली टेंडर दस्तावेज़ में उल्लिखित शर्तों के प्रति सार्थक रूप से अनुत्तरदायी पाई जाएगी तथा जिसने अनुमानित मूल्य के अनुरूप युक्तिसंगत बोली मूल्य प्रस्तुत किया होगा, जिसमें अनुबंध के सभी घटकों के मूल्य को ध्यान में रखकर L1 निर्धारित किया जाएगा।

(viii) कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, बैंक को निम्नतम बोली या किसी भी टेंडर को स्वीकार करने से इनकार करने तथा टेंडरिंग प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी या सभी टेंडरों को, पूर्ण या आंशिक रूप से, बिना किसी कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार होगा।



भाग-V

भाग I – कार्य का दायरा एवं वाणिज्यिक शर्तें
तकनीकी बोली प्रपत्र
(नोट- ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरकर अपलोड करें)

क्रमांक	विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत सूचना		
1	बोलीदाता का नाम			
2	क्या बोलीदाता कंपनी, साझेदारी फर्म या एकल स्वामित्व का उद्यम है?			
3	स्वामी/साझेदारों/निदेशकों के नाम (संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें)			
4	अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पदनाम			
5	कंपनी/फर्म/एकल स्वामित्व उद्यम का पंजीकृत पता एवं संपर्क पता			
6	टेलीफोन नंबर (ओं)	ऑफिस	रिहायश	मोबाइल
7	ई-मेल आईडी			
8	बेंगलुरु नगर निगम क्षेत्र के भीतर बोलीदाता के कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का नाम एवं पता			
9	समान कार्य करने का अनुभव (वर्षों में) (प्रमाणपत्र संलग्न करें)			
10	पिछले तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्नओवर (लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण संलग्न करें)	2022-23 (रु.	लाख में)	
		2023-24 (रु.	लाख में)	
		2024-25 (रु.	लाख में)	



11	नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निवल संपत्ति (प्रति संलग्न करें)	
12	अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के तहत लाइसेंस संख्या (लाइसेंस की प्रति संलग्न करें)	
13	बैंक का नाम, पता, IFSC कोड, खाता प्रकार एवं संख्या (रद्द चेक की प्रति संलग्न करें)	
14	PAN/TAN/GSTN संख्या (दस्तावेज संलग्न करें)	
15	एक समय में प्रदान किए जा सकने वाले शारीरिक रूप से सक्षम मजदूरों की अधिकतम संख्या	
16	बैंक अधिकारियों द्वारा मांग की सूचना देने के लिए फोन नंबर	लैंडलाइन- मोबाइल- फैक्स-

17. उन संस्थाओं का विवरण जिनके साथ बोलीदाता ने समान अनुबंध बनाए हैं (समर्थन में दस्तावेज/प्रमाणपत्र संलग्न किए जा सकते हैं)

क्रमांक	संस्थान का नाम	पता और टेलीफोन नंबर (संबंधित दस्तावेज जमा करें)	अनुबंध की अवधि	संस्थान में किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य (रु.)



18. क्या मजदूरों/पर्यवेक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के चरित्र एवं पृष्ठभूमि की पुलिस द्वारा जांच एवं प्रमाणन किया गया है? – हाँ / नहीं

19. (a) क्या बोलीदाता को RBI या राज्य/केंद्र सरकार विभाग द्वारा कभी ब्लैकलिस्ट किया गया है? – हाँ / नहीं

(यदि फर्म या इसके निदेशक/निदेशकों को RBI द्वारा आवेदन से वंचित किया गया है या किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो आवेदन न करें) ।

(b) क्या फर्म या इसके निदेशक/निदेशकों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है? – हाँ / नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें (अलग पृष्ठ संलग्न किया जा सकता है)

20. क्या बोलीदाता के लिए अनुबंध की शर्तें स्वीकार्य हैं? – हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो इस टेंडर दस्तावेज के खंड-III एवं खंड-IV में दी गई अनुबंध शर्तों की प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित करके, बोली के साथ प्रस्तुत करें।

21. RBI, बेंगलुरु के खाते में NEFT के माध्यम से जमा की गई धनराशि का विवरण:

NEFT विवरण:

IFSC कोड: RBIS0BGPA01 (दोनों शून्य)

खाता संख्या: 8692299

खाता नाम: Earnest Money Deposit Received, RBI Bengaluru

राशि: ₹1,60,000/- (रुपये एक लाख साठ हजार मात्र)

लेनदेन संख्या सहित प्रेषण प्रमाण (स्कैन की गई प्रति) संलग्न/अपलोड करें। बोलीदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि लेनदेन संख्या सहित प्रेषण प्रमाण issuebangalore@rbi.org.in एवं remittanceblr@rbi.org.in पर भेजें।



22. घोषणा: – बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण

(क) मैं/हम यह सहमत हैं कि हमारी बोली टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार के लिए मान्य रहेगी और यह मान्यता अवधि बैंक और मेरे/हमारे बीच लिखित रूप से पारस्परिक रूप से सहमत किए गए समय तक विस्तारित की जा सकती है।

(ख) यदि यह बोली स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम यह सहमत हैं कि हम टेंडर की सभी शर्तों का पालन करेंगे और उनका पालन न करने पर, आप या आपके उत्तराधिकारियों, अधिकारियों या नामित व्यक्तियों को टेंडर में निर्दिष्ट राशि जुर्माने के रूप में अदा करेंगे, जिसके साथ अनुबंध की लिखित स्वीकृति भी शामिल होगी।

(ग) मैं/हम यह समझते हैं कि आपके पास किसी भी या सभी बोलियों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, बिना किसी कारण का उल्लेख किए।

(घ) यह टेंडर ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से दो भागों में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात् भाग I और भाग II। भाग I में सभी वाणिज्यिक शर्तें, शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं तथा भाग II में केवल बैंक के प्रारूप में मूल्य बोली है।

(ङ) मैं/हम द्वारा दी गई सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सटीक हैं, और यदि बाद में इनमें से कोई गलत/असही साबित होता है, तो बैंक को उचित समझी जाने वाली कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

(च) मैं/हम समझते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत/असही पाई जाती है, तो हमारी बोली को किसी भी चरण में अस्वीकार किया जा सकता है और इस संबंध में RBI का निर्णय अंतिम होगा।

दिनांक ____ को ____ 2026

मैसर्स _____ की ओर से एवं उनके लिए

(मुहर के साथ हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____

दिनांक _____

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।



साक्षी:

(1) नाम, पता एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर

(2) नाम, पता एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर



भाग VI

तकनीकी बोली के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) अनुभव प्रमाणपत्र।
- (ii) पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।
- (iii) बैंक द्वारा प्रमाणित सामर्थ्य प्रमाणपत्र, जिसमें नवीनतम लेखा परीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार धनात्मक निवल संपत्ति दर्शाई गई हो।
- (iv) फर्म के गठन से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज, जिसमें स्वामी/साझेदारों/निदेशकों के विवरण शामिल हों।
- (v) कंपनी के समावेशन/पंजीकरण का प्रमाणपत्र।
- (vi) टेंडर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर सहित पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार पत्र।
- (vii) घोषणा-पत्र, जिसमें बताया गया हो कि बोलीदाता किसी बैंक/वित्तीय संस्थान का जानबूझकर देनदार नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
- (viii) लागू होने पर PAN/TAN एवं GSTN संख्या की प्रतियाँ।
- (ix) बेंगलुरु नगर निगम क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का विवरण एवं प्रासंगिक दस्तावेज।
- (x) अनुबंध की शर्तों (खंड III एवं IV में निर्दिष्ट) को स्वीकार करने की पुष्टि, जिसमें बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित प्रति जमा की गई हो।
- (xi) RBI, बेंगलुरु खाते में NEFT के माध्यम से ईमानदारी राशि जमा करने का आदेश पत्र।
- (xii) पिछले एक वर्ष का बैंक स्टेटमेंट।
- (xiii) बैंकर के रद्द चेक की प्रति।
- (xiv) अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के तहत लाइसेंस संख्या की प्रति।

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेज बोलीदाता द्वारा ई-टेंडर पोर्टल के माध्यम से बोली जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत/अपलोड किए जाने चाहिए। यदि बोलीदाता द्वारा उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक अपनी एकतरफा राय से भाग-I में बोली को अयोग्य घोषित कर सकता है।



भाग VII

भाग- I का मूल्यांकन (तकनीकी बोली)

योग्यता मानदंड

इस निविदा दस्तावेज में पहले निर्धारित पात्रता मानदंड को तकनीकी बोली पर विचार करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा:

क्रम संख्या	तकनीकी मूल्यांकन के पैरामीटर	क्या मापदंडों को पूरा कर रहे हैं/आवश्यक दस्तावेज जमा कर रहे हैं (हां/नहीं)	क्या निविदा के भाग- I को अर्हता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं	टिप्पणियां
1	इसी प्रकार के कार्यों को करने का न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव।			
2	पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुबंध के अनुमानित व्यय का न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर कम से कम 30% (तीस प्रतिशत) होना चाहिए – जिसे लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।			
3	धनात्मक निवल संपत्ति – बैंक द्वारा प्रमाणित सामर्थ्य प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है।			
4	अनुबंध श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के तहत लाइसेंस संख्या की प्रति।			
5	क्या मजदूरों/पर्यवेक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के चरित्र एवं पृष्ठभूमि की पुलिस द्वारा जांच एवं प्रमाणन की गई है? (यदि अभी तक नहीं की गई है, तो अनुबंध प्राप्ति पर करना आवश्यक होगा)			
6	क्या बोलीदाता को RBI या राज्य/केंद्र सरकार विभाग द्वारा कभी ब्लैकलिस्ट किया गया है?			
7	क्या फर्म या इसके निदेशक/निदेशकों के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है?			
8	क्या टेंडर दस्तावेज के खंड IV में दी गई अनुबंध की शर्तें बोलीदाता के लिए स्वीकार्य हैं? यदि हाँ, तो			



	प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित शर्तों की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।			
9	क्या बोलीदाता द्वारा RBI के खाते में ₹1,60,000/- की ईमानदारी जमा राशि जमा की गई है? यदि हाँ, तो NEFT विवरण की प्रति संलग्न करें।			
10	क्या बेंगलुरु नगर निगम क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि के विवरण प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दिए गए हैं?			

केवल वे बोलियां, जो उपरोक्त मूल्यांकन मापदंडों को पूरा करती हैं, टेंडर के भाग I में योग्य होंगी और भाग II अर्थात् वित्तीय बोली के लिए पात्र होंगी। हालाँकि, बैंक अपनी एकतरफा राय से किसी भी मानदंड में छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है, परंतु यह छूट सभी बोलीदाताओं के लिए लागू होगी।



भाग- VIII

भाग II - मूल्य बोली

सिक्का बैग और नोट बॉक्सों को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में वयस्क और सक्षम श्रमिकों की आपूर्ति के लिए प्रस्तावित करें (जीएसटी और अन्य लागू करें सहित)

अनुसूची अ - श्रमिकों की आपूर्ति (1 जुलाई, 2026 से 31 मार्च, 2028 तक)			
बोलीदाता का नाम: -			रुपये में दर
I		रेलवे द्वारा	
		वैगनों से भरे हुए नोट बॉक्सों को उतारना और बेंगलुरु सिटी, कैंटोनमेंट, येशवंतपुर आदि रेलवे स्टेशनों पर लोरियों में लोड करना तथा कार्यालय में उतारना, तौलना और गोदामों में स्टैक करना तथा इसके विपरीत	
	(i)	नोट बॉक्स	
		(क) 100 किलोग्राम तक (प्रति बॉक्स)	A
		(ख) 100 किलोग्राम से ऊपर 130 किलोग्राम तक (प्रति बॉक्स)	B
	(ii)	सिक्के	
		वैगनों से सिक्कों के थैलों को उतारना और रेलवे स्टेशनों पर लोरियों में लोड करना तथा कार्यालय में उतारना, तौलना और गोदामों में स्टैक करना तथा इसके विपरीत	
		(क) प्रति बैग	C
	(iii)	खाली बक्से	
		बैंक के परिसर में लोरियों में खाली बॉक्सों को लोड करना और रेलवे स्टेशन पर वैगनों में पुनः लोड करना तथा इसके विपरीत	
		(क) प्रति बॉक्स	D



II			रास्ते से	
			ट्रक/कंटेनर से ताज़ा और मैले नोट्स से भरे बॉक्सों को उतारना, तौलना तथा गोदाम में स्टैक करना तथा इसके विपरीत	
	(i)		नोट बॉक्स	
		(क)	100 किलोग्राम तक (प्रति बॉक्स)	E
		(ख)	100 किलोग्राम से ऊपर 130 किलोग्राम तक (प्रति बॉक्स)	F
	(ii)		सिक्के	
			ट्रक/कंटेनर से उतारना, तौलना, बैंक के सुरक्षित परिसर के माध्यम से परिवहन और गोदाम में स्टैक करना तथा इसके विपरीत	
		(क)	प्रति बैग	G
	(iii)		खाली बक्से	
			बैंक के परिसर में लोरियों में खाली बॉक्सों को लोड करना तथा इसके विपरीत	
		(क)	प्रति बॉक्स	H
III			नोट बॉक्स/सिक्का बैग का स्थानांतरण	
		(क)	नोट बॉक्स (प्रति बॉक्स)	I
		(ख)	सिक्का बैग (प्रति बैग)	J
		(ग)	खाली बॉक्स (प्रति बॉक्स)	K
IV			नोट बॉक्स/सिक्का बैग का सत्यापन	
	(i)		सत्यापन के लिए गोदाम से बॉक्स/थैलियाँ निकालना और सत्यापन के बाद उन्हें फिर से गोदाम में स्टैक करना।	
		(क)	100 किलोग्राम तक (प्रति बॉक्स)	L
		(ख)	100 किलोग्राम से ऊपर (प्रति बॉक्स)	M
		(ग)	प्रति सिक्का बैग दर	N



नोट: उपरोक्त में शामिल नहीं किए गए अन्य विविध कार्यों की दरें, बैंक द्वारा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा उपरोक्त दरों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएंगी।

सिक्का बैगों का वजन संदर्भ के लिए:

धनांक	पुराना सिक्का बैग बैग का कुल वजन (किलो में)	नया सिक्का बैग बैग का कुल वजन (किलो में)
₹1	9.6 किलोग्राम	7.725 किलोग्राम
₹2	10.2 किलोग्राम	10.175 किलोग्राम
₹5	17.2 किलोग्राम	10.110 किलोग्राम
₹10	15.5 किलोग्राम	9.675 किलोग्राम
₹20	17.08 किलोग्राम	10.675 किलोग्राम

कंपनी/फर्म के अधिकृत अधिकारी का नाम:

हस्ताक्षर (कंपनी/फर्म की मुहर के साथ):

नोट:

(i) ऊपर दिया गया मूल्य बोली का प्रारूप केवल संदर्भ के लिए है। मूल्य बोली केवल MSTC ई-टेंडरिंग पोर्टल पर भरी जानी चाहिए।

(ii) L1 बोली ऊपर दिए गए प्रारूप में उद्धृत सभी दरों के सरल औसत के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(iii) L1 बोलीदाता की गणना का सूत्र निम्नलिखित है:

$$(A*0.01+B*0.01+C*0.01+D*0.01+E*0.01+F*2.7+G*89.78+H*1.59+I*3.35+J*2.49+K*0.01+L*0.01+M*0.01+N*0.01)/100$$